शीर्षकः कैन्टीन संचालन सेवा हेतु निविदा आमंत्रण

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर

निविदा फार्म

निविदा संदर्भ संख्या क्रमांकः–एफ–49 (11)/कैसंसे/2018–19/051 दिनांकः 04.04.2018

निविदा कार्य का नामः राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में कैन्टीन संचालन सेवा प्रदान करने हेतु निविदा

कैन्टीन संचालन सेवा हेतु निविदा आमंत्रण
E-Tender

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशाला, मानव संसाधन विकास कार्यों इत्यादि में भाग लेने वाले संभागियों हेतु एवं संस्थान के छात्रावास व गेस्ट हाउस में रहने वाले अतिथियों के लिये दिन व रात्रि का भोजन एवं जलपान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सेवा प्राप्त करना

बिड संदर्भ सं. क्रमांकः–एफ–49 (11)/कैसंसे/2018–19/051 दिनांकः 04.04.2018

ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउन लोड करने की तिथि व समय	:	05.04.2018 सायं 4 बजे से
प्रि बिड मिटिंग की तिथि, समय व स्थान	:	12.04.2018 प्रातः 11:00 बजे रा.स्वा.एवं प.क.सं. परिसर
निविदा फार्म, ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क व धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक, समय व स्थान	:	19.04.2018 दोपहर 4 बजे तक रा.स्वा.एवं प.क.सं. परिसर
ऑनलाइन निविदा आवेदन करने की अंतिम तिथि व समय	:	20.04.2018 दोपहर 1 बजे तक
ई–टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान	:	20.04.2018 दोपहर 3 बजे रा.स्वा. एवं प.क.सं. परिसर

निविदा मूल्य	:	रू 50 लाख
निविदा फार्म मूल्य	:	रू 1000/– **(एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)**
ई टेन्डर प्रोसेसिंग शुल्क	:	रू 1000/–
धरोहर राशि	:	रू 1 लाख (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)

(धरोहर राशि रूपये 1.00 लाख (एक लाख रू मात्र) एवं निविदा फार्म शुल्क रूपये 1000 (एक हजार रू मात्र) का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैंक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पक्ष में जयपुर में देय हो एवं ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि 1000 (एक हजार रू मात्र) का डी.डी./बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. (MD, RISL) के पक्ष में जयपुर में देय हो। तीनो के डी.डी./बैंकर्स चैक अलग–अलग हों)

ई–टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने का स्थान व सम्पर्क हेतु पता
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा सूचना	4
2.	निविदादाताओं हेतु निर्देश	5–11
3.	निविदा फार्म चैक लिस्ट संलग्नक "A"	12–13
4.	निविदा फार्म संलग्नक "B"	14
5.	संविदा की शर्ते एवं नियम संलग्नक "C "	15–18
6.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्नक "D"	19
7.	वार्षिक टर्न ओवर संलग्नक "E"	20
8.	भोजन (मीनू) की सूची संलग्नक "F"	21–22
9.	स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्नक "G"	23
10.	स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्नक "H"	24–25
11.	Format of BoQ	26

नोट :– सम्पूर्ण निविदा तथा BOQ देवनागरी लिपी हिन्दी के फॉन्ट से DevLys 010 (क्मअस्ले 010) लिखित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534

कमांक:—एफ—49(11)/कैसंसे/2018—19/051 **दिनांक:— 4.4.2018**

—: निविदा सूचना :—

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान स्थित कैन्टीन संचालन के लिये सेवा प्रदान करने हेतु होटल, रेस्टोरेन्ट व्यवसायी, केटरिंग सेवा प्रदाता एवं अनुभवी ठेकेदार जो केन्टीन/मैस संचालन का अनुभव रखते हों, से निम्नानुसार सेवा कार्य आपूर्ति के लिये ई—निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:—

क्र. सं.	कार्य	अनुमानित लागत लाखों में	धरोहर राशि रू. में	निविदा फार्म राशि रू. में	ई—टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि रू. में	ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउनलोड करने की तिथि व समय	ऑनलाइन निविदा जमा (अपलोड) कराने की अंतिम तिथि व समय	ई—टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान	निविदा फार्म, ई—टेण्डर प्रक्रिया शुल्क व धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक, समय व स्थान	प्रि बिड मिटिंग की तिथि, समय व स्थान
1	24 घंटे X 7 दिन कैन्टीन संचालन सेवा	50 लाख रुपये	100,000/— (रू एक लाख) बैंकर्स चैक/डी.डी.	1000/— बैकर्स चैक/ डी. डी.	1000/— बैकर्स चैक/डी. डी.	05.04.2018 शाम 4 बजे से	20.04.2018 दोपहर 01:00 बजे तक	20.04.2018 दोपहर 03:00 बजे रा.स्वा.प.क. सं. में	19.04. 2018 सायं 04:00 बजे तक लेखा शाखा, रा. स्वा.प.क. सं. में	**12.04. 2018 को** प्रातः 11 बजे रा. स्वा.प.क. सं. में रखी गयी है।

निविदा फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com, व www.sppp.rajasthan.gov.in और eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 05.04.2018 को शाम 4 बजे से डाउनलोड किया जा सकता है। **ई—टेण्डर को अपलोड करने की अन्तिम तिथि 20.04.2018 दोपहर 01:00 बजे तक है। निविदादाता फर्म को धरोहर राशि रूपये 1.00 लाख (एक लाख रू मात्र) एवं निविदा फार्म शुल्क रूपये 1000 (एक हजार रू मात्र) का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैंक जो निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पक्ष में जयपुर में देय हो एवं ई—टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि 1000 (एक हजार रू मात्र) का डी.डी./ बैंकर्स चैक जो मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. (MD, RISL) के पक्ष में जयपुर में देय हो को संलग्न करना अनिवार्य होगा जो दिनांक 19.04.2018 को सायं 04:00 बजे तक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान कार्यालय में लेखा शाखा में बंद लिफाफे में जमा करा देवें।** धरोहर राशि, ई—टेण्डर प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा फार्म राशि के बिना प्राप्त निविदा अथवा त्रुटिपूर्ण डी.डी./बेंकर्स चैक होने पर निविदा को निरस्त मानते हुए उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी भाग अथवा पूर्ण निविदा को रद्द करने अथवा प्राप्त निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं हेतु निर्देश

1. यह निविदा होटल, रेस्टोरेन्ट व्यवसायी, केटरिंग सर्विस प्रदाता एवं अनुभवी केन्टीन/मैस संचालकों/सेवा प्रदाताओं से आमंत्रित की जाती हैं।
2. निविदा फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com, व www.sppp.rajasthan.gov.in और eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. इन निविदाओं में भाग लेने वाले आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म को मय संलग्नकों के (यदि कोई हों तो) इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक व समय तक जमा करवाना होगा।
4. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (1) एफ.डी/जी.एफ एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रू. तक की राशि के कार्यों के लिए रू 500/– व 50 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए रू 1000/– की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में देय होगी। यह डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. (MD, RISL) के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
5. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत (रू 100000, एक लाख रू मात्र) होगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के नाम जयपुर में देय होगा। एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु धरोहर राशि में नियमानुसार छूट रहेगी। असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद वापस लौटाई जा सकेगी।
6. निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगाः–

   अ. निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक **05.04.2018** समय सायं 04:00 बजे से **20.04.2018** दोपहर 01.00 बजे तक होगी।

   ब. निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक **05.04.2018** सायं 4 बजे से दिनांक **20.04.2018** दोपहर 01.00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेब साईट

निविदादाता के हस्ताक्षर

http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक **20.04.2018** को दोपहर 03:00 बजे खोली जायेगी।

स. निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में लेखा शाखा में दिनांक **19.04.2018** सायं 04:00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।

द. निविदा प्रपत्र को दिनांक **05.04.2018** सायं 4 बजे से दिनांक **20.04.2018** दोपहर 01:00 बजे तक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय समय में अथवा वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता हेतु पात्रता, विभिन्न कार्यों की मात्रा का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

7. **निविदा की वैधता** खोलने की दिनांक से 120 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म शुल्क रू. 1000 (एक हजार रू मात्र) एवं टेण्डर प्रक्रिया शुल्क रू. 1000 (एक हजार रू मात्र) तथा धरोहर राशि रू 100000/– (एक लाख रू मात्र, एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु रू 25000/–) अलग–अलग डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथी 19.04.2018 को 4 बजे सायं तक जमा कराना आवश्यक है।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक रा.स्वा. एवं प.क. संस्थान, जयपुर के पास सुरक्षित है।

10. ई–टेण्डरिंग के लिये निविदाता हेतु निर्देशः–

अ. निविदा में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट "http://www.eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड (download) कर सकते है।

ब. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वेबसाइट "http//www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते

निविदादाता के हस्ताक्षर

हैं। जिन निविदादातााओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हे नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार्य नही होगा।

द. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।

य. यदि निविदादाता को इलेक्ट्रोनिकली निविदा जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा। निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि (20.04.2018) व समय (दोपहर 1:00 बजे तक) तक जमा किये गये दस्तावेजों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। अतः निविदादाता टेंडर प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचनाओं को संपूर्ण रूप से सही व त्रुटिरहित भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

र. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक (20.04.2018) एवं समय (दोपहर 3:00 बजे) एवं स्थान (राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान) पर खोली जायेंगी।

ल. यदि किसी कारणवश निविदा खोलने के दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाऐं खोली जाऐंगी। जो निविदा दाता तकनीकी बिड में क्वालीफाई करेंगे केवल उनकी ही वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–मेल से दी जावेगी। निविदा खोलने की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।

11. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा फार्म शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राप्ट/बैंकर चैक की फोटो प्रति के साथ अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां, जैसा कि आगे इस निविदा फार्म में बताया गया है, वेब साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना आवश्यक है।
12. निविदा दाता द्वारा निविदा फार्म शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डिमान्ड ड्राप्ट प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग देय होंगे। अगर एक डिमाण्ड ड्राप्ट को एक से अधिक निविदा में अपलोड करना पाया गया तो निविदा दाता को इन सभी निविदाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
13. भौतिक रूप से जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों यथा डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं पोर्टल पर डिजिटली अपलोड किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटी रह जाने पर

निविदादाता के हस्ताक्षर

उसे निर्धारित समय सीमा में पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन करके दुरस्त किया जाना सम्भव है किन्तु निविदा जमा कराने की निर्धारित समय सीमा दिनांक 20.04.2018 को दोपहर 1:00 बजे तक) के उपरान्त किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार संभव नहीं हो पायेगा एवं निर्धारित समय सीमा के उपरान्त निविदादाता द्वारा निविदा को पूर्ण करने के उद्देश्य **से स्वयं के स्तर पर** प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी दस्तावेज अथवा त्रुटिसुधार की प्रार्थना को निविदा का भाग माना जाना सम्भव नहीं हो पायेगा एवं तदनुसार अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण निविदा को अमान्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

14. प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की पांच प्रतिशत (2.5 लाख रू) होगी। सफल निविदादाता को कार्यादेश देते समय अथवा अनुबंध के समय धरोहर राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जाना संभव हो सकेगा।

15. वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र BOQ में प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय निविदा भरते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि दरें व्यवहारिक हों एवं दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के अनुरूप हों। कार्यादेश देने के बाद में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जावेगा एवं गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर कैंटीन संचालक के साथ किया गया करार समाप्त कर प्रतिभूति राशि (परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी) जब्त कर ली जावेगी।
16. निविदादाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा संपर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर सम्पूर्ण समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सके।
17. यह निविदा क्वालिटी बेस्ड अर्थात गुणवत्ता आधारित है जिसका निर्धारण तकनीकी निविदा में प्राप्त हुए गुणवत्ता मापदंडों में निविदादाता को प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर किया जाना है। अतः वित्तीय निविदा केवल मेरिट सूचि में प्रथम तीन रहने वाले निविदादाताओं की ही खोली जायेगी। यदि प्रथम स्थान पर तीन या अधिक निविदादाता आ जाते हैं तो इसके आगे के सभी निविदादाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी? इसी प्रकार यदि प्रथम स्थान पर एक व दूसरे स्थान पर दो या अधिक अथवा प्रथम स्थान पर दो एवं दूसरे स्थान पर एक या अधिक निविदा दाता आ जाते हैं तो इसके आगे के निविदादाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी। इसी प्रकार प्रथम व द्वितीय स्थान पर एक एक एवं तृतीय स्थान पर एक या अधिक निविदादाता आ जाते हैं तो इनके अतिरिक्त किसी अन्य की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी।
18. वित्तीय निविदा हेतु समस्त दरें विभिन्न कर, शुल्क, व्यय इत्यादि (यदि कोई हों तो) को सम्मिलित करते हुये होंगी (जी.एस.टी. को छोड़कर)। जी.एस.टी. को निविदाओं द्वारा प्रस्तुत दरों के तुलनात्मक विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाना है अतः BOQ में दी गई दरें बिना जी.एस.टी. के प्रस्तुत करें। निविदा में वर्णित

निविदादाता के हस्ताक्षर

दर एवं जी.एसटी. की राशि जो प्रभावी दरों के अनुसार होगी, के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। जी.एसटी. की राशि व दरों को बिल में पृथक रूप से दर्शाना होगा।

19. सफल निविदिदाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निविदाओं को एक समिति द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर खोला जायेगा एवं तुलनात्मक विवरण तैयार किया जायेगा। BOQ में A, B, C व D चार पैकेज दिये गये हैं। तुलनात्मक विवरण हेतु BOQ में दी गई केवल पैकेज A (मुख्य सेवाओं) की संयुक्त (Aggregate) दरों की गणना न्यूनतम दरदाता के निर्धारण हेतु की जावेगी एवं पैकेज A के न्यूनतम निविदादाता को यदि वह अन्य तीन पैकेज B, C व D में न्यूनतम न हो तो उसे अवसर दिया जावेगा कि वह शेष तीन पैकेज के न्यूनतम निविदादाता की दर पर सेवाएं उपलब्ध करावे। उक्त पैकेज A के न्यूनतम निविदादाता द्वारा शेष तीन पैकेज के न्यूनतम निविदादाता की दर पर सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर करने पर इन तीन पैकेज के निविदादाताओं को जो भी जिस पैकेज में न्यूनतम हो अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। पैकेज A के न्यूनतम निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से सेवाएं प्रदान करने में असफल होने या असमर्थता जाहिर करने की स्थिति में पैकेज A के ही द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को उपरेाक्त अवसर प्रदान किया जावेगा एवं इसी प्रकार यह कम जारी रेहगा जब तक कि किसी फर्म से अनुबंध नहीं हो जाता। किसी भी परिस्थिति में पैकेज B, C व D के न्यूनतम निविदादाता को पैकेज A हेतु निगोशिएशन हेतु आमंत्रित नहीं किया जावेगा। यदि पैकेज पैकेज A का न्यूनतम निविदादाता पैकेज D की सेवाएं प्रदान करने हेतु न्यूनतम नहीं है एवं पैकेज D के न्यूनतम निविदादाता की दरों पर सेवाएं प्रदान नहीं करना चाहता है तो पैकेज D की सेवाएं किसी भी ऐसे निविदादाता को प्रदान की जा सकती हैं जिसकी दरें उसके द्वारा पैकेज A में प्रस्तुत दरों के प्रतिशित के आधार पर न्यूनतम होंगी।

20. सफल निविदादाता (अनुबंधकर्ता) जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत सफल निविदादाता के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली सफल निविदादाता से ही की जावेगी।

21. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
22. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।
23. निविदा दाता को प्रपत्र बिना काट –छांट के अपलोड करना चाहिये अन्यथा स्कैन किये गये व अपलोड किये जाने वाले निविदा प्रपत्र में प्रत्येक काट–छांट पर

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता को अपने हस्ताक्षर करने चाहिये अन्यथा निविदा को अमान्य किया जा सकता है।

24. निविदा स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को होगा।
25. सम्पूर्ण निविदा पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित नियम प्रभावी होंगे एवं अनुबन्धक व कार्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।
26. सफल निविददाता से अनुबंध की अवधि अनुबन्ध किये जाने की तारीख से एक अथवा दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी जो कि सफल दरों की उपयुक्तता (आर.टी.पी.पी.नियम 2013 सं 29 बी) पर निर्भर करेगा।
27. निविदादाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तें/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तों व विवरण पत्रों को स्वीकार कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।
28. संस्थान निदेशक किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।
29. निविदादाता को करार निष्पादित-करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्नानुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    - यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति ।
    - एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डाक्यूमेंट।
    - कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    - जी.एस.टी पंजीकरण एवं पैन नंबर अनिवार्य होगा ।
    - नगर निगम जयपुर या अन्य सक्षम अधिकारी/सरकारी कार्यालय/संस्था द्वारा जारी फूड़ लाईसेन्स की वैध प्रति अनिवार्य है।
    - फर्म द्वारा सर्विस टैक्स नियमानुसार जमा कराया गया होना अनिवार्य है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। सर्विस टैक्स जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में निविदा तकनीकी रूप से अमान्य समझी जावेगी।
30. निविदादाता दर संविदा को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।
31. निविदादाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी।
32. यदि निविदा के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा निविदा को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना निविदादाता का दायित्व होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

33. एम.एस.एम.ई. संस्थान को नियमानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क, धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि में छूट देय होगी।
34. प्री बिड मीटिंग की दिनांक 12.04.2018 है। मीटिंग निर्धारित दिनाक को 11:00 बजे संस्थान परिसर में रखी जायेगी।

निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा **संलग्नक "A"**

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट

(यह नोटराइज्ड़ होना चाहिए)

मैं/हम .... (निविदादाता का नाम) (कार्यालय का नाम)...................................
....निवासी (निविदादाता का पता) .... घोषणा करते है कि मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तो एवं नियमों को पढ़ लिया है जो कि निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा निविदा में दिये गये हैं तथा उल्लेखित सभी शर्तो, नियमों व नीचे दिये गये मेरिट सिस्टम का पालन करने हेतु सहमत हैं।

मैं/हम होटल/रेस्टोरेंट व्यवसायी/केटरिंग सेवा प्रदाता/केन्टीन/मैस सेवा प्रदाता के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु सहमत है।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने की घोषणा करते हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरे राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र. सं.	विवरण	संलग्न हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या	मेरिट हेतु प्राप्तांक अधिकतम 100 (मूल्यांकन कमेटी द्वारा भरा जावे)
1.	अमानत राशि रु. 100000/– चैक/ड्राफ्ट अनिवार्य			0/05
2.	वैध फूड लाइसेंस की प्रति अनिवार्य			0/10
3.	पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य			0/02
4.	वर्ष 2016–17 की सर्विस टैक्स विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य			0/10
5.	जी.एस.टी टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य			0/05
6.	वर्ष 2016–17 की आयकर विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य			0/10
7.	वर्ष 2017–18 की जी.एस.टी. जमा विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति (प्रथम तीन तिमाही की) अनिवार्य			0/10
8.	हस्ताक्षरित मूल निविदा फार्म मय संलग्नक "A से H तक" अनिवार्य			0–8 (1 अंक प्रति संलग्नक)
9.	किसी भी संस्थान में मैस/केन्टीन संचालन का कार्यनुभव प्रमाण पत्र संलग्न "D")			1 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 10 अंक
10.	टर्नओवर विवरण (संलग्नक "E") तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नआवर 75.00 लाख प्रतिवर्ष (पिचत्तर लाख) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा			0/10

निविदादाता के हस्ताक्षर

	प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न करना होगा। अनिवार्य			
11.	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नही है। इसका शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "G") अनिवार्य			0/10
12.	वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.ई/अन्य समकक्ष)			0/10 (1 अंक प्रति प्रमाण पत्र अधिकतम 10)
	कुल प्राप्तांक			

1. सफल निविदादाता को 50 अंक प्राप्त करने अनिवार्य है।
2. वित्तीय निविदा तकनीकी निविदा मूल्यांकन पश्चात केवल प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की खोली जाएंगी। (देखें निविदादाता हेतु निर्देश बिन्दु संख्या 17)।
3. उपरोक्त सारणी में पृष्ठ संख्या अवश्य लिखें ताकि आपके द्वारा संलग्न दस्तावेज को आसानी से ढूंढ़ा जा सके।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा **संलग्नक " B "**

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर—302004
फोन न. 2706496, 2701938, फैक्स न. 2706534

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर भवन परिसर में केन्टीन संचालन सेवा प्रदान करने हेतु बिड फार्म

1.	निविदादाता फर्म/संस्था का नाम			
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता			
3.	दूरभाषः अ) कार्यालय...... .... ब) निवास.................................. मोबाईल... ई—मेल..	....		
4.				
4.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी (संलग्नक H)			
5.	फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता			
6.	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता (ब) किस हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं? (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया हैं?	नाम— पता— (यथा मालिक/मैनेजर/सचिव अधिकृत व्यक्ति) हॉ/नही/लागू नहीं		
7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	मोबाईल नं. दूरभाष नं. पता—		
8.	संलग्न बैंकर चैक/डी.डी. अमानत राशि का विवरण (जमा करा दी गई है/नही कराई है)		बैंकर चैक/डी.डी. सं.	दिनांकः
		निविदा फार्म शुल्क	....	....
		धरोहर राशि	....	....
		ई टेन्डर प्रकिया शुल्क	....	....

उपर्युक्त जानकारीयॉ सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियॉ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नही होगी। मैने क्रमांक 5 से 8 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय स्टाम्प
नाम व पता मय दूरभाष नं.

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा संलग्नक "C"

कार्यालय भवन एवं परिसर की केन्टीन सेवा प्रदान करने हेतु संविदा की शर्ते एवं नियम

1. निविदाकार स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा विभाग की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति निविदादाता से की जावेगी।
2. यदि निविदाकार के कार्य से संस्थान के किसी अनुभाग से कोई भी शिकायत आने व सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी।
3. निविदादाता को अनुबंध के सात दिवस में संस्थान में कैन्टीन संचालन हेतु फूड लाइसेंस हेतु आवेदन कर लाइसेंस संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।
4. अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पालना के अधीन, ठेकेदार को सही प्रारूप में व तीन प्रतियों में मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करने पर विभाग चैक/ ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जावेगी। जिसका विभाग द्वारा ठेकेदार को आयकर (टीडीएस) जमा का फार्म (16 ए) दिया जायेगा।
5. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
6. उक्त कार्य के सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से हो जाती है तो उसके लिए यह कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा, और ना ही इस कार्यालय का किसी प्रकार का कोई दायित्व/जिम्मेदारी होगी। इस बाबत समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म (अनुबन्धक) की ही होगी।
7. भोजन बनाने हेतु वाणिज्य गैस सिलेन्डर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
8. निविदादाता को खाना बनाने के काम आने वाले आवश्यक बर्तन उपलब्ध करवाये जावेंगे (जो संस्थान में उपलब्ध है) एवं यदि कोई और बर्तनों की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर से करनी होगी एवं इस हेतु कोई अलग से चार्ज देय नही होगा। चाय, नाशता एवं खाना परोसने वाले बर्तन चीनी मिट्टी के अच्छी गुणवत्ता वाले निविदा फर्म द्वारा उपलब्ध करावाये जावेंगें।
9. निविदादाता को कैंटिन परिसर के सफाई का कार्य अपने स्तर पर संपन्न करवाना होगा एवं कैटिन परिसर में प्रतिदिन तीन बार सफाई करवानी होगी।
10. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में लंच ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले लंच की व्यवस्था करनी होगी।
11. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में टी ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले ही चाय आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

12. निर्धारित अवधि में संस्थान की कैंटिन में लंच/डिनर की व्यवस्था नहीं करने पर अनुबंधक की रिस्क एवं कोस्ट पर संस्थान द्वारा अन्य फर्म से लंच/डिनर मंगवाया जा सकेगा, तथा संस्थान को इस सम्बन्ध में यदि कोई हानि होती है, तो आर्थिक हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व अनुबंध—कर्ता का होगा व संस्थान निविदादाता/अनुबंध—कर्ता से वसूली करेगा।
13. भोजन के निर्माण में FSSAI मार्का उत्तम गुणवत्ता की सामग्री का ही उपयोग किया जावेगा।
14. प्रदाय भोजन की सामग्री सम्पूर्णतः निविदा विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं होने पर स्वीकार नहीं होगी।
15. अपरिहार्य एवं प्रशासनिक कारणों से निर्धारित कार्यक्रम परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है।
16. सस्थान द्वारा गठित एक कमेटी कार्यादेश से पूर्व भोजन की गुणवत्ता व स्वाद का जायजा ले सकती है केवल सही (संतोषजनक) पाये जाने पर ही सफलतम निविदादाता को कार्यादेश दिया जावेगा।
17. निर्देशानुसार कार्य सम्पादित नहीं करने पर या किसी प्रकार असफल रहने पर किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं अन्य स्त्रोतों से पूर्ति करने के कारण संस्थान को हुई आर्थिक क्षति के लिये निविदादाता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।
18. स्वीकृत निविदादाता द्वारा प्रयुक्त खाद्य साम्रगी व किचन की जॉच/निरीक्षण हेतु यह कार्यालय स्वतंत्र होगा।
19. उक्त दरों में समान लाने ले जाने एवं कार्य स्थल पर हैण्डलिंग की दर भी सम्मिलित है। समान/वस्तुओं की टूट फूट या गुम हो जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
20. बिल में जी.एस.टी. प्रचलित दर को नियमानुसार अंकित करना होगा।
21. प्रशिक्षण की तिथि एवं अवधि एक दिन पूर्व सूचित की जावेगी। संस्थान के द्वारा सूचित किये जाने की संख्या अनुसार सुबह की चाय/नाश्ता/लंच/डिनर मेनू अनुसार उपलब्ध कराना होगा। समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकने अथवा गुणवत्ता सही नहीं होने की स्थिति में उस दिन से सम्बन्धित कार्यादेश के विरूद्ध कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रशिक्षण के प्रथम दिन के प्रतिभागियों के चाय, नाश्ता व लंच का भुगतान कार्यादेश अथवा सेवाओं का उपभोग करने वाले संभागियों की प्रमाणित संख्या (जो भी अधिक हो के अनुसार किया जायेगा)।
22. यदि प्रतिभागियों द्वारा एक माह में तीन बार से अधिक गुण्वत्ता सम्बन्धी शिकायत की जाती है तो अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।
23. भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती प्रचलित नियम अनुसार की जायेगी। पेन नम्बर, टिन नम्बर लिखना अनिवार्य है,

निविदादाता के हस्ताक्षर

इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। सम्बन्धित पत्रों/प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें।

24. सफल निविदादाता को 1000 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
25. भुगतान हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण बैच की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नियमानुसार कुल चाय, नाश्ता एवं भोजन आदि का बिल मय टोकन के प्रस्तुत किया जायेगा। जांच पश्चात् निविदा की शर्तानुसार सही होने पर भुगतान किया जायेगा।
26. खाने के उपयोग में लिया जाने वाला खाद्य तेल ब्रांडेड मूंगफली/सरसों वे देशी घी का होगा। तथा मसाले बेसन, चावल, पोहे एवं अन्य खाद्य सामग्री एग FSSAI मार्का की होगी।
27. विवादास्पद स्थिति होने पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को निविदा शर्तों के अनुसार निर्णय कर आवश्यक कटौति, भुगतान ना करने व वसूली करने का अधिकार रहेगा। विवाद की स्थिति में निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
28. निविदादाता द्वारा भोजन आदि की आपूर्ति के फलस्वरूप यदि भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण से किसी प्रशिक्षणार्थी के स्वास्थ्य को कोई हानि होती है तो उसके लिये निविदादाता पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
29. समस्त विधिक कार्यवाहियों यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार, सरकार, या ठेकेदार द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।
30. उपयुक्त समझे जाने पर या आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
31. निदेशक द्वारा गठित समिति/प्रधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कच्ची भोजन सामग्री/तैयार भोजन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
32. करार व प्रतिभूति निक्षेपः सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबन्ध पत्र रूपये 1000 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। अनुमानित लागत की पॉच प्रतिशत प्रतिभूति राशि रूपये 250000/– मात्र (बैंक ड्राफ्ट) जमा करानी होगी।
33. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
34. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (जब्त) – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत (जब्त) किया जा सकेगा–
    - जब संविदा की किन्ही शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
    - जब निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

निविदादाता के हस्ताक्षर

35. प्रतिभूति निक्षेप को समपह्वत (जब्त) करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य स्वा. एवं. प.क. संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
36. अल्पाहार, भोजन (लंच एवं डिनर) के दौरान व पश्चात् भोजन की टेबिल, कुर्सी की सफाई का कार्य भी निविदादाता द्वारा अपने स्त्रोतों (कार्मिकों) द्वारा कराया जायेगा।
37. अल्पाहार भोजन के पश्चात् भरे हुए कचरा पात्रों को खाली करके नियमानुसार निष्पादित करने की व्यवस्था निविदादाता फर्म द्वारा ही कराई जायेगी।
38. संस्थान के स्टाफ को रियायती दर (अनुमोदित दर का 50 प्रतिशत) पर भोजन, एवं नाश्ते की व्यवस्था कॉन्ट्रेक्टर को करनी होगी।
39. प्रशिक्षणार्थियों/कर्मचारियों को पीने के लिए मंगवाये गये पानी के कैम्पर्स को वाटर कूलरों में खाली करवाने का कार्य भी निविदादाता द्वारा अपने स्तर (स्त्रोत) से करवाना होगा।
40. संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार आउट साईड कैटरिंग जिले अथवा राज्य में कहीं भी करनी हो सकती है।
41. साप्ताहिक खाने के मीनू के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी।
42. संस्थान परिसर के बाहर आउट साइड कैटरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु फर्म द्वारा सभी आवश्यक खाना बनाने, परोसने एवं खिलाने के बर्तनों व परिवहन तथा कार्मिकों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अतः निविदादाता व्यावहारिक रूप से जॉच परख कर ही अपनी दरें प्रस्तुत करें।
43. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
44. केन्टीन के RO की Maintenance निविदादाता को साल में दो बार या आवश्यकतानुसार करनी होगी।
45. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को उपरोक्त निर्देशों में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ौतरी की जा सकती है।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम एवं मोहर
डाक पता निवास स्थान एवं कार्यालय ....
....
....
मोबाईल न. ....
फोन न. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र संलग्नक "D '

कार्यानुभव प्रमाण पत्र

क्रम सं.	संस्था का नाम व पता जहॉ कार्य सम्पादित किया है	सेवा अवधि	वित्त वर्ष	लागत	प्रमाण संलग्न किया है अथवा नहीं

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

संलग्नक "E"

(फर्म के लेटर हैड पर)

वार्षिक टर्नओवर विवरण*

मैसर्स .... पता ....
.... के **औसत सकल वार्षिक टर्नओवर के** गत तीन वर्षो के नीचे दिये गये वित्तीय विवरण सही और सत्य है,जो कि सत्यापन हेतु प्रस्तुत है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नआवर (लाख में) रुपयें
1		
2		
3		
	कुल योग	रुपयें .... लाख में

*तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नओवर 75.00 लाख प्रतिवर्ष (पिचतर लाख रू) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

दिनांकः निविदादाता के हस्ताक्षर अंकेक्षक के हस्ताक्षर मय सील/चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

नामः ....

पताः ....
....

मोबाइल नम्बरः ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा

संलग्नक "F"

भोजन मीनू की सूची

Break fast	1. चाय/कॉफी 2. दूध–कार्न फलेक्स, 3. मौसमी फल, 4. निम्न में से कोई भी एक OPTION प्रति दिन उपलब्ध हो। भरवा परांठा–(आलू/गोभी/प्याज/पनीर, दही, आचार सॉस सहित), मसाला पोहा, सांभर–इडली, कटलेट–साबुत दाना, आलू की सब्जी–पूडी, बेसन/दाल चीला 5. ब्रेड– आमलेट/ ब्रेड –बटर/बोइल्ड एग
High Tea	1. चाय/काफी 2. कोई भी एक मिठाई 3- कचौरी/समोसा/ब्रेड पकोडा 4- वेफर्स/बिस्किटस
Lunch/Dinner	1. टमाटर सूप/कोर्न सूप/वेजीटेबल सूप/कैरी पन्ना 2. चपाती 3. दाल मखानी/अरहर दाल/मूंग दाल/राजमा/धूली उडद दाल/छोले 4. मौसमी सब्जी मेथी आलू/आलू पालक/आलू फूल गाभी/आलू बैंगन/मटर मंगोडी/मिक्स वेजीटेबल/आलू शिमला मिर्च 5. शोरबा की सब्जी, मलाई कोफता/कढाई पनीर/स्टफ टमेटो/शाही पनीर/दम आलू/गटटा मसाला/पालक पनीर 6. बूंदी का रायता/पाईनेपल रायता/वेजीटेबल रायता/लौकी खीरा रायता/जीरा पुदीना रायता 7. जीरा राईस/वेजीटेबल पुलाव/प्लेन राईस/मटर पुलाव 8. पोला पापड/सादा पापड 9. नारियल की बॅर्फी/खीर/प्लेन बर्फी/हलवा/गुलाब जामुन/राजभोग (कोई भी 1 नग) 10. सलाद–सिरका प्याज, मिर्च, नींबू, खीरा/ककडी, टमाटर, चटनी, अचार
Working Tea/Coffee	चाय/कॉफी बिस्कुट
निविदादाता को उपरोक्त दिये गये मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाना होगा एवं साप्ताहिक सब्जी की पुनरावर्ती नही की जावेगी।	

निविदादाता के हस्ताक्षर

Packed Lunch/ Dinner	प्रत्येक सब्जी,दाल,पुलाव,रायता, मिठाई के (अलग–अलग कंटेनर में रखें जायेगे) 1. चपाती–तवा/तंदूरी/मिस्सी 2. चावल/पुलाव बासमती, 3. दो सब्जियां जिसमें से एक पनीर की व एक मौसमी सब्जी 4. दाल, 5. रायता/दही, 6. मिठाई 50 ग्राम (एक नग) 7. अचार चटनी, निम्बू (थैली अथवा पाउच मे) 8. सलाद –खीरा, ककडी, प्याज टमाटर ,गाजर मूली
Special Veg Lunch/ Dinner	1.चपाती (लच्छा पराठा/तवा/तंदूरी/मिस्सी/रुमाली/बेजड/मसाला) कोई सी दो प्रकार की 2. सादा चावल/पुलाव बासमती/वेज बिरयानी कोई एक 3. तीन सब्जियां जिसमें से एक पनीर की एवं एक मिक्स वेज तथा एक सीजनल या तवा सब्जी हो 4. दालमखानी/दालफ्राई कोई एक 5. रायता – फ्रूट,/ बूंदी, /खीरा /दही/दही मिर्ची कोई एक 6. सूप 7. मिठाई (एक नग) 8. आइसक्रीम 9. शीतल पेय /गर्म पेय 10. अचार, चटनी, व पापड़ 11. फ्रूट सलाद (अमरुद, सेव, पपीता, अंगूर,केला, आदि) 12. सलाद –खीरा, ककडी, प्याज टमाटर ,गाजर मूली, हरी मिर्च, सिरका प्याज 13. सौंफ सुपारी मिश्री
Special non veg Lunch/Dinner	उपरोक्त **Special veg Lunch/Dinner के अतिरिक्त मटन एवं चिकन या फिश की रेसेपी**

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम.................................
पता निवास स्थान एवं कार्यालय ....
....
....
मोबाईल न. ....
फोन न. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र संलग्नक "G "

स्वः घोषणा प्रमाण पत्र

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंम्पनी) द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओ से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नहीं की गई है तथा इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी /हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी /हमारी संस्था जिम्मेदार होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

निविदादाता का नाम

दिनांक

स्थान

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र संलग्नक "H "

स्वामित्व प्रमाण पत्र

(10 रु के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी)

मैं/हम.. मैं एकल स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स ....एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/ सार्वजनिक/ निजी लिमिटेड कंपनी के एकमात्र मालिक जो कि अधिकृत कार्यालय स्थित ....(पूरा पता) जो कि सही होने की घोषणा करते हैं:–

1. कि मैं मेसर्स ....का एक मात्र मालिक हूँ

अथवा

कि हमारी मेसर्स ....साझेदारी फर्म है जिसके तहत साझेदारों के पूरा नाम निम्न है/

(अ) ....

(ब)...

(स)..

(द)..

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानों के अन्तगर्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।*

*यदि स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी फर्म का साझेदारी विलेख/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन ओर एसोसिएशन का प्रलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशकों में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न किया जाना चाहिए

2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत निविदा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची में अथवा कार्य में अयोग्य नही पाई गई है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा की जाती है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

3. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत निविदा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवेध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नही किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा कि जाती है ।
4. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते है तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई निविदाओ में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नही होगे ।
5. मैं शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ कसम खाता हूँ की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

सत्यापन हेतु..पर..दिये गये अनुच्छेद 1से 5 शपथ पत्र में सही ओर ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नही हैं तथा ना ही कुछ छुपाया अथवा झूठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता के हस्ताक्षर